

HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
TENDER NOTICE

Quotations/Tenders in sealed covers are invited for the sale of Nineteen (19) vehicles of this Court as per details given below on "AS IS WHERE IS BASIS" :-

S. No.	Vehicle Make	Registration No.	Model	Mileage (Kms.)
1.	Maruti Esteem	DL7SP-0029	July, 2001	1,38,386
2.	Maruti Esteem	DL7SP-0030	July, 2001	1,45,198
3.	Maruti Esteem	DL7SP-0031	July, 2001	1,56,899
4.	Maruti Esteem	DL7SP-0032	July, 2001	99,785
5.	Maruti Esteem	DL3CAC-0007	March-2003	1,72,434
6.	Ambassador	DL-2FFD-0061	March' 2005	1,21,465
7.	Ambassador	DL-2FFD-0062	March' 2005	1,12,647
8.	Ambassador	DL-2FFD-0063	March' 2005	1,01,812
9.	Ambassador	DL-2FFD-0064	March' 2005	1,05,470
10.	Ambassador	DL-2FFD-0065	March' 2005	1,04,975
11.	Ambassador	DL-2FFD-0066	March' 2005	1,14,283
12.	Ambassador	DL-2FFD-0067	March' 2005	1,15,261
13.	Ambassador	DL-2FFD-0068	March' 2005	1,20,662
14.	Ambassador	DL-2FFD-0069	March' 2005	1,38,176
15.	Ambassador	DL-2FFD-0070	March' 2005	1,24,379
16.	Maruti Esteem	DL-4CAC-0002	Nov'2005	90,689
17.	Maruti Esteem	DL-4CAC-0003	Nov'2005	67,131
18.	Maruti Esteem	DL-4CAC-0004	Nov'2005	1,62,660
19.	Maruti Esteem	DL-4CAC-0005	Nov'2005	1,02,675

The interested parties may contact the Deputy Registrar (Protocol) Room No. 5, above the Medical Unit, Delhi High Court, Sher Shah Road, New Delhi-110003, (Tel No. 23389653) for inspection of the vehicles and obtain detailed terms and conditions of the auction during 10.00 a.m. to 4.00 p.m. on any working day.

For Reserve Price of the vehicles the interested parties may refer to the terms & conditions. Quotations along with Demand Draft of Rs. 10,000/- (as refundable earnest money) in the name of the "Registrar General, Delhi High Court" should be delivered in a sealed cover to the Deputy Registrar (Protocol) by 11.00 a.m. on or before 23 March, 2013. The quotations will be opened on the same day i.e. 23 March, 2013 at 12.30 p.m. Full price is to be paid by the successful tenderers within seven days of acceptance of the quotations failing which earnest money shall stand forfeited and tender offer rejected. This Court reserves its right to reject any or all the quotations without assigning any reason. Interested persons may also visit this Court's website www.delhihighcourt.nic.in.

sd/-
(D.K. Batra)
OSD (Protocol)

**TERMS & CONDITIONS WITH REGARD TO ACCEPTANCE OF TENDERS AND
DELIVERY OF THE 19 CARS OF DELHI HIGH COURT, WHICH WILL BE SOLD ON
"AS IS WHERE IS BASIS" AS PER DETAILS GIVEN BELOW**

S. No.	Vehicle Make	Registration No.	Model	Mileage (Kms.)	Reserve Price (In Rupees)
1.	Maruti Esteem	DL7SP-0029	July, 2001	1,38,386	₹ 40,000 /-
2.	Maruti Esteem	DL7SP-0030	July, 2001	1,45,198	₹ 40,000 /-
3.	Maruti Esteem	DL7SP-0031	July, 2001	1,56,899	₹ 40,000 /-
4.	Maruti Esteem	DL7SP-0032	July, 2001	99,785	₹ 40,000 /-
5.	Maruti Esteem	DL3CAC-0007	Mar-2003	1,72,434	₹ 40,000 /-
6.	Ambassador	DL-2FFD-0061	March' 2005	1,21,465	₹ 30,000 /-
7.	Ambassador	DL-2FFD-0062	March' 2005	1,12,647	₹ 30,000 /-
8.	Ambassador	DL-2FFD-0063	March' 2005	1,01,812	₹ 30,000 /-
9.	Ambassador	DL-2FFD-0064	March' 2005	1,05,470	₹ 30,000 /-
10.	Ambassador	DL-2FFD-0065	March' 2005	1,04,975	₹ 30,000 /-
11.	Ambassador	DL-2FFD-0066	March' 2005	1,14,283	₹ 30,000 /-
12.	Ambassador	DL-2FFD-0067	March' 2005	1,15,261	₹ 30,000 /-
13.	Ambassador	DL-2FFD-0068	March' 2005	1,20,662	₹ 30,000 /-
14.	Ambassador	DL-2FFD-0069	March' 2005	1,38,176	₹ 30,000 /-
15.	Ambassador	DL-2FFD-0070	March' 2005	1,24,379	₹ 30,000 /-
16.	Maruti Esteem	DL-4CAC-0002	Nov'2005	90,689	₹ 42,000 /-
17.	Maruti Esteem	DL-4CAC-0003	Nov'2005	67,131	₹ 42,000 /-
18.	Maruti Esteem	DL-4CAC-0004	Nov'2005	1,62,660	₹ 42,000 /-
19.	Maruti Esteem	DL-4CAC-0005	Nov'2005	1,02,675	₹ 42,000 /-

1. The bid will be confirmed in favour of the person quoting the highest rate in respect of that vehicle and he/she shall be required to produce proof of his/her identity and residence before acceptance of the balance payment.
2. Only those bidders shall be eligible for bidding who deposit Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only) per vehicle by way of demand draft/pay order drawn in favour of "The Registrar General, Delhi High Court, New Delhi" as refundable Earnest Money with the concerned officer on or before 23 March, 2013 upto 11.00 a.m. writing their name, address, telephone/mobile no., Pan Card on the reverse side of the demand draft/ pay order on the spot.
3. 50% of the bid amount is to be deposited by the highest bidder whose bid will be provisionally accepted, immediately on the spot by way of cash/demand draft/pay order after adjusting the Earnest Money of Rs. 10,000/- already deposited against a particular vehicle. If the amount is not deposited, the earnest money will be forfeited and the tender next below the highest shall be accepted. Similarly if the second tenderer fails to make payment of the balance amount, the next below tender shall be accepted.
4. On final acceptance of the bid, the remaining 50% amount is to be deposited by the highest bidder within one week from the date of such acceptance by way of demand draft/pay order drawn in favour of "The Registrar General, Delhi High Court, New Delhi", failing which 50% amount already deposited shall stand forfeited and vehicle will be offered to the next tenderer as at **Instruction No. 3** above. On payment of the full amount, the vehicle will be handed over to such person, which is required to be removed simultaneously.

5. Vide letter F.No. M.L.O.(HQ)/Tpt/2013/626 dated 21.01.2013, the Transport Department, Govt. of NCT of Delhi has notified that the condemned vehicle is neither allowed to ply in Delhi nor its ownership can be transferred in Delhi. Accordingly, the successful tenderer will not be allowed to register/transfer the ownership of disposed/auctioned vehicles within the Jurisdiction of NCT of Delhi, in terms of the aforesaid letter dated 21.01.2013.
6. The signed prescribed form of transfer of vehicle will only be delivered to the successful bidder and the original Registration Certificate of the vehicle will be surrendered to the Transport Authority concerned.
7. The Registry will deal with the bidders directly and no middle men/agents/commission agents etc. should be asked by the bidders to represent their cause and they will not be entertained by the Registry.
8. Conditional bid will not be entertained. If the bid is withdrawn by the concerned party at any time after it is provisionally accepted, the entire money already deposited by him/her shall stand forfeited.
9. The Registry, in its discretion, reserves the right to reject or accept any or all the bids, partly or completely, at any time without assigning any reason therefor. The decision of the officer conducting the auction shall be final.
10. It shall be presumed that the bidder has fully inspected the vehicle before the auction. The Registry shall not be responsible and shall not entertain any complaint in respect of any defect in the vehicle.
11. The officers/staff of this Court and their family members shall not be permitted to participate in the auction.
12. The Successful bidder shall get the vehicle transferred in his/her name as per rules, at his/her own cost and responsibility, immediately on taking delivery and in any case within the time prescribed for this purpose. Delhi High Court Registry shall not in any manner be concerned with or responsible for registration of the vehicles, and will have no liability whatsoever after the delivery of vehicle to the successful tenderer.

sd/-
(D.K. Batra)
OSD (Protocol)

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निविदा सूचना

इस न्यायालय की उन्नीस (19) गाड़ियों की, जिनका विवरण नीचे दिया गया है “जैसी हैं जहां हैं के आधार पर” बिक्री हेतु सीलबंद निवेदित मूल्य/निविदाएं आमंत्रित हैं।

क्रम सं.	गाड़ी की रचना	पंजीकरण संख्या	मॉडल	माइलेज (किमी.)
1.	मारुति एस्टीम	DL-7SP-0029	जुलाई, 2001	1,38,386
2.	मारुति एस्टीम	DL-7SP-0030	जुलाई, 2001	1,45,198
3.	मारुति एस्टीम	DL-7SP-0031	जुलाई, 2001	1,56,899
4.	मारुति एस्टीम	DL-7SP-0032	जुलाई, 2001	99,785
5.	मारुति एस्टीम	DL-3CAC-0007	मार्च, 2003	1,72,434
6.	अम्बेसडर	DL-2FFD-0061	मार्च, 2005	1,21,465
7.	अम्बेसडर	DL-2FFD-0062	मार्च, 2005	1,12,647
8.	अम्बेसडर	DL-2FFD-0063	मार्च, 2005	1,01,812
9.	अम्बेसडर	DL-2FFD-0064	मार्च, 2005	1,05,470
10.	अम्बेसडर	DL-2FFD-0065	मार्च, 2005	1,04,975
11.	अम्बेसडर	DL-2FFD-0066	मार्च, 2005	1,14,283
12.	अम्बेसडर	DL-2FFD-0067	मार्च, 2005	1,15,261
13.	अम्बेसडर	DL-2FFD-0068	मार्च, 2005	1,20,662
14.	अम्बेसडर	DL-2FFD-0069	मार्च, 2005	1,38,176
15.	अम्बेसडर	DL-2FFD-0070	मार्च, 2005	1,24,379
16.	मारुति एस्टीम	DL-4CAC-0002	नवम्बर, 2005	90,689
17.	मारुति एस्टीम	DL-4CAC-0003	नवम्बर, 2005	67,131
18.	मारुति एस्टीम	DL-4CAC-0004	नवम्बर, 2005	1,62,660
19.	मारुति एस्टीम	DL-4CAC-0005	नवम्बर, 2005	1,02,675

इच्छुक पार्टियां गाड़ियों के निरीक्षण एवं नीलामी की विस्तृत निबंधन एवं शर्तों हेतु किसी

भी कार्य दिवस पर प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे के दौरान उप निबंधक (प्रोटोकॉल) से कमरा

न. 5, मेडिकल यूनिट के ऊपर, दिल्ली उच्च न्यायालय, शेरशाह रोड, नई दिल्ली-110003
(टेलीफोन नं. 23389653) पर संपर्क कर सकते हैं।

गाड़ियों की आरक्षित कीमत हेतु निर्देशों का सन्दर्भ लें। निविदाओं के साथ “रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली हाई कोर्ट” के नाम पर बना रु. 10,000/- का डिमांड ड्राफ्ट (वापसी योग्य अग्रिम राशि) दिनांक 23.03.2013 को या उससे पहले प्रातः 11 बजे तक उप-निबंधक (प्रोटोकॉल) को सील बंद कवर में दे दिया जाना चाहिए। निविदाओं को उसी दिन अर्थात् 23.03.2013 अपराह्न 12:30 बजे खोला जाएगा। सफल निविदाकारों के द्वारा पूर्ण राशि का भुगतान निविदाओं की स्वीकृति के 7 दिवसों के भीतर करना होगा जिसके असफल होने पर अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी एवं उनके द्वारा दी गई निविदा निरस्त हो जायेगी। यह न्यायालय किसी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इच्छुक व्यक्ति इस न्यायालय की वेबसाइट www.delhihighcourt.nic.in भी देख सकते हैं।

sd/-
डी.के. बत्रा
ओ.एस.डी. (प्रोटोकॉल)

निविदाओं की स्वीकृति से सम्बंधित निबंधन एवं शर्तें एवं दिल्ली उच्च न्यायालय
की 19 गाड़ियों का परिदान जो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार

“जैसी हैं जहां हैं के आधार पर” बेची जायेंगी

क्रम सं.	गाड़ी की रचना	पंजीकरण संख्या	मॉडल	माइलेज (किमी.)	आरक्षित राशि (रु. में)
1.	मारुति एस्टीम	DL-7SP-0029	जुलाई, 2001	1,38,386	रु. 40,000/-
2.	मारुति एस्टीम	DL-7SP-0030	जुलाई, 2001	1,45,198	रु. 40,000/-
3.	मारुति एस्टीम	DL-7SP-0031	जुलाई, 2001	1,56,899	रु. 40,000/-
4.	मारुति एस्टीम	DL-7SP-0032	जुलाई, 2001	99,785	रु. 40,000/-
5.	मारुति एस्टीम	DL-3CAC-0007	मार्च, 2003	1,72,434	रु. 40,000/-
6.	अम्बेसडर	DL-2FFD-0061	मार्च, 2005	1,21,465	रु. 30,000/-
7.	अम्बेसडर	DL-2FFD-0062	मार्च, 2005	1,12,647	रु. 30,000/-
8.	अम्बेसडर	DL-2FFD-0063	मार्च, 2005	1,01,812	रु. 30,000/-
9.	अम्बेसडर	DL-2FFD-0064	मार्च, 2005	1,05,470	रु. 30,000/-
10.	अम्बेसडर	DL-2FFD-0065	मार्च, 2005	1,04,975	रु. 30,000/-
11.	अम्बेसडर	DL-2FFD-0066	मार्च, 2005	1,14,283	रु. 30,000/-
12.	अम्बेसडर	DL-2FFD-0067	मार्च, 2005	1,15,261	रु. 30,000/-
13.	अम्बेसडर	DL-2FFD-0068	मार्च, 2005	1,20,662	रु. 30,000/-
14.	अम्बेसडर	DL-2FFD-0069	मार्च, 2005	1,38,176	रु. 30,000/-
15.	अम्बेसडर	DL-2FFD-0070	मार्च, 2005	1,24,379	रु. 30,000/-
16.	मारुति एस्टीम	DL-4CAC-0002	नवम्बर, 2005	90,689	रु. 42,000/-
17.	मारुति एस्टीम	DL-4CAC-0003	नवम्बर, 2005	67,131	रु. 42,000/-
18.	मारुति एस्टीम	DL-4CAC-0004	नवम्बर, 2005	1,62,660	रु. 42,000/-
19.	मारुति एस्टीम	DL-4CAC-0005	नवम्बर, 2005	1,02,675	रु. 42,000/-

- गाड़ी के सम्बन्ध में अधिकतम दर उद्धृत करने वाले व्यक्ति के पक्ष में बोली की पुष्टि की जायेगी एवं उसे शेष भुगतान की स्वीकृति से पूर्व अपने पहचान एवं निवास का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

2. वहां पर केवल वही बोली लगाने वाले बोली हेतु योग्य होंगे जो रु. 10,000/- (रु. दस हजार) प्रति गाड़ी की दर से “रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली हाई कोर्ट, नई दिल्ली” के पक्ष में आहरित मांग पत्र/आदेश पत्र के माध्यम से वापसी योग्य अग्रिम राशि के रूप में दिनांक 23.03.2013 समय प्रातः 11.00 को अथवा उससे पहले मांग पत्र अथवा आदेश पत्र के पीछे की तरफ अपना नाम, पता, दूरभाष/मोबाइल नं., पैन कार्ड लिखकर सम्बंधित अधिकारी के पास जमा करा देंगे ।
3. अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति, जिसकी बोली अनंतिम रूप से स्वीकृत होगी, को उसी स्थान पर तुरंत नीलामी राशि का 50%, रु. 10,000/- की अग्रिम राशि को समायोजित करने के पश्चात जो उस गाड़ी के प्रति पहले ही जमा कराई जा चुकी है, नगद/मांग पत्र/आदेश पत्र के माध्यम से जमा कराना होगा । यदि धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो अग्रिम राशि जब्त हो जायेगी एवं अधिकतम से अगली कम निविदा स्वीकार कर ली जायेगी । उसी प्रकार, यदि दूसरा निविदाकार शेष धनराशि का भुगतान करने में असफल होता है तो अगली निम्न निविदा स्वीकार की जाएगी ।
4. नीलामी की अंतिम रूप से स्वीकृति पर शेष 50% राशि अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति के द्वारा एक सप्ताह के भीतर “रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली हाई कोर्ट, नई दिल्ली” के पक्ष में आहरित मांग पत्र/आदेश पत्र के माध्यम से जमा कराया जाएगा; जिसके असफल होने पर पहले जमा कराई गयी 50% राशि जब्त हो जायेगी एवं गाड़ी को अगले निविदाकार को उपरोक्त निर्देश संख्या 3 के अनुसार प्रस्तावित किया जाएगा । पूर्ण राशि के भुगतान पर गाड़ी उस व्यक्ति के सुपुर्द कर दी जायेगी और उसे गाड़ी को साथ-साथ वहां से हटाना जरूरी होगा ।

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने पत्र सं. F. No. MLO. (HQ)TPT/2013/626 दिनांक 21.01.2013 के द्वारा अधिसूचित किया है कि निष्प्रयोजित गाड़ी को न तो दिल्ली में चलाने की अनुमति है, न ही इसका स्वामित्व दिल्ली में हस्तांतरित किया जा सकता है। तदनुसार, सफल निविदाकार को उपरोक्त पत्र दिनांक 21.01.2013 के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के अन्दर निस्तारित/नीलामित गाड़ियों के स्वामित्व का पंजीकरण/हस्तांतरण करने की अनुमति नहीं होगी।
6. गाड़ी के हस्तांतरण का हस्ताक्षर किया हुआ विहित प्रारूप केवल सफल बोली लगाने वाले को प्रदान किया जाएगा एवं गाड़ी का मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र सम्बंधित परिवहन प्राधिकरण को अभ्यर्पित किया जाएगा।
7. रजिस्ट्री, बोली लगाने वाले से सीधे संव्यवहार करेगी एवं बोली लगाने वाले अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए किसी भी मध्यस्थ/अभिकर्ता/कमीशन अभिकर्ता इत्यादि को नहीं कहेंगे एवं रजिस्ट्री के द्वारा उन पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. सशर्त बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि सम्बंधित पक्षकार के द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकृत होने के पश्चात बोली को वापिस लिया जाता है तो उसके द्वारा पहले जमा की गई सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी।
9. रजिस्ट्री अपने स्वविवेक से, किसी भी समय इस हेतु बिना कोई कारण बताये किसी अथवा सम्पूर्ण बोलियों को अंशतः अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। नीलामी का संचालन करने वाले अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

10. यह माना जाएगा कि बोली लगाने वाले ने नीलामी से पहले गाड़ी का पूर्णरूपेण परीक्षण कर लिया है । गाड़ी से सम्बंधित किसी शिकायत एवं कमी हेतु रजिस्ट्री उत्तरदायी नहीं होगी एवं विचार नहीं करेगी ।
11. इस न्यायालय के अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी ।
12. सफल निविदाकार, परिदान लेकर तुरंत नियमानुसार अपने खर्चे एवं जिम्मेदारी पर गाड़ी को तत्काल एवं किसी भी दशा में इस उद्देश्य के लिए विहित समय के भीतर अपने नाम पर हस्तांतरित करवाएंगे । दिल्ली उच्च न्यायालय रजिस्ट्री, गाड़ियों के पंजीकरण हेतु किसी भी तरीके से सम्बंधित अथवा उत्तरदायी नहीं होगी एवं सफल निविदाकार को गाड़ी के परिदान के पश्चात दिल्ली उच्च न्यायालय रजिस्ट्री का कुछ भी उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

sd/-
डी.के. बत्रा
ओ.एस.डी. (प्रोटोकॉल)